संख्या:12/2018/550/ सत्रह-म-2018-6-9(111)/16

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक:18 अप्रैल,2018

विषय: मत्स्य सेक्टर में शतप्रतिशत राज्य पोषित योजना के वित्तीय वर्ष 2018-19 में तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष्य धनराशि रू0 187.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-222/नि0शा0/2016-17 दिनांक 09अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में शतप्रतिशत राज्य पोषित तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 रू0 187.50 लाख (एक करोड सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष्य धनराशि रू0 187.50 लाख (एक करोड सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त निदेशक मत्स्य , मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 187.50 लाख को वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0409- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास,27- सब्सिडी के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार 60 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

1- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-17/2016/1902/ सत्रह-म-2016-6-9(111)/2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2- स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में अग्रिम आहरित कर किसी बैंक /पी0एल0ए0/डाकघर में जमा नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

ः उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक-ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

4- धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ -साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8- जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्मंमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

9- स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ / हो रहा है।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0409- तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों /शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या -12/2017/550(1) /सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0 -3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 12/2018/ 550 /सत्रह-म-2018-6-9 (111)/ 2016 दिनांक अप्रैल, 18 अप्रैल,2018 का

संलग्नक-

वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत 60 जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृति -

क्र0 सं0	जनपद	तालाबो के उत्पादन का लक्ष्य		नर्सरी निर्माण हेतु लक्ष्य (तालाब के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत)		प्रति नर्सरी 0.1 हे0 हेतु इकाई लागत 0.50 लाख की दर से कुल धनराशि (रू0 लाख में)	50 प्रतिशत की दर से अनुमन्य अनुदान (रू0 लाख में)	आय-व्ययक अनुमान 2018-19 (रू0 लाख में)	निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)
		संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अलीगढ	5	5.00	5	0.50	2.50	1.25	1.25	1.25
2	फिरोजाबाद	5	5.00	5	0.50	2.50	1.25	1.25	1.25
3	मैनपुरी	5	5.00	5	0.50	2.50	1.25	1.25	1.25
4	मथुरा	5	5.00	5	0.50	2.50	1.25	1.25	1.25
5	आजमगढ	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
6	मऊ	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
7	बलिया	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
8	इलाहाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
9	कौशाम्बी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
10	फतेहपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
11	प्रतापगढ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
12	इटावा	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
13	औरैया	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
14	कन्नौज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
15	गोरखपुर	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
16	महराजगंज	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
17	देवरिया	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
18	कुशीनगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
19	बस्ती	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
20	संतकबीर नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	सिद्धार्थ नगर	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
22	झांसी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
23	जालौन	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
24	ललितपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
25	गोण्डा	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
26	बलरामपुर	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
27	बहराईच	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
28	श्रावस्ती	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
29	फैजाबाद	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
30	अम्बडेकर नगर	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
31	सुल्तानपुर	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
32	अमेठी	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
33	बाराबंकी	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
34	बरेली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
35	बदायूं	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
36	शाहजहॉपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
37	पीलीभीत	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
38	मिर्जापुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
39	सोनभद्र	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
40	संतरविदास नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
41	बिजनौर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
42	मेरठ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
43	बागपत	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
44	गाजियाबाद	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
45	गौतमबुद्ध नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
46	हापुड	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
47	बुलन्दशहर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
48	लखनऊ	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
49	उन्नाव	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

50	रायबरेली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
51	सीतापुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
52	हरदोई	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
53	लखीमपुर खीरी	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
54	वाराणसी	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
55	चन्दौली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
56	गाजीपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
57	जौनपुर	20	20.00	20	2.00	10.00	5.00	5.00	5.00
58	सहारनपुर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
59	मुजफ्फर नगर	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
60	शामली	10	10.00	10	1.00	5.00	2.50	2.50	2.50
	योग -	**750**	**750.00**	**750**	**75.00**	**375.00**	**187.50**	**187.50**	**187.50**

(कुल रू0 एक करोड सत्तासी लाख पचास हजार मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।